क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही (राज.)

दिनांक: 12-11-2024

क्रमांक :– क्षे.का.राप्रनिम–सिरोही/सामान्य 337/1750

खुली निविदा सूचना सं. 02/2024–25

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, जिला सिरोही को वित्तिय वर्ष 2024–2025 हेतु दर अनुबंध पर **मानव संसाधन सेवाऐं** उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्टत पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर (पैन नम्बर) एंव राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं:–

क. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोले जाने की तिथि
1.	2-(Two)- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (For Office Work)	4.00 लाख	500/-	8000/-	25/11/2024 (दोपहर 01:00 बजे तक)	25/11/2024 (दोपहर 03:00 बजे)
2	2-(Two)- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
3	1-(One)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधारपर)					
4	3-(Three)- सिक्युरिटी मैन					
5	1-(One)- वाहन चालक					

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 13/11/2024 से 22/11/2024 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 25/11/2024 दोपहर 01:00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय,आबूरोड, जिला सिरोही में जमा करा सकते है।
2. निविदा फार्म वेबसाईट से डाउनलोड लिये जाने की स्थिति में निविदा शुल्क की राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT SIROHI** के नाम से जारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT SIROHI** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट https://environment.rajasthan.gov.in एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
5. इस निविदा की NIB Code- P.CB2425A0022.. व UBN Code- PCB2425SSOB00079 है।

(अशोक कुमार जेलिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् ए.सी.पी. (आई.टी.सेल), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि खुली निविदा सूचना सं. 02/2024–25 को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही।

12/11/24

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

प्रपत्र अ–तकनीकी निविदा (Technical Bid)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ,सफाई कर्मचारी, सिक्युरिटी मैन एवं वाहन चालक की सेवाऐं किराये पर लिये जाने हेतु

1. संदर्भ : **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, सिरोही** की खुली निविदा सूचना संख्या– ....दिनांक........................

2. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....

3. डाक का पता ....
....

4. बोलीदाता फोन/मोबाईल नं. ....

5. ई–मेल ....

6. बैंक का नाम ....
आईएफसी कोड ....
खाता संख्या ....

7. किसको सम्बोधित किया गया है :– **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, जिला सिरोही (राज.)**

8. निविदा बोली शुल्क रूपये : (1) 500/–रू. (पांच सौ मात्र)
: (2) डीडी क्रमांक............................दिनांक..................
राशि....................(**DD- REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD PAYABLE AT SIROHI** के पक्ष मे देय होगा।)

9. निविदा बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार है, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/सिक्युरिटी मैन/वाहन चालक हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई है।

11. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:–

12/1/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				
9	निविदादाता की वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 05 लाख रूपये तक होना आवश्यक है।				
10	बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी केन्द्र/राज्य/स्वायत्त संस्थाऐ/निगम/मण्डल/समिति /आयोग में कम्पुटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/बागवान कर्मचारी /सिक्युरिटी कर्मचारी/वाहन चालक) का कम से कम तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है।				

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

12. बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी केन्द्र/राज्य/स्वायत्त संस्थाऐ/निगम/मण्डल/समिति /आयोग में कम्पुटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/सिक्युरिटी मैन/वाहन चालक) का कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका निम्नलिखित विवरणनुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजो की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्केन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगा।

क्रम संख्या	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्पयूटर प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारी/सिक्युरिटी मैन/वाहन चालक) का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्पुटर प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारी/ सिक्युरिटी मैन/वाहन चालक) की समयावधि	संबधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण का अंकन
1	2	3	4	5

13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

14. निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता हैं तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी ।

15. राज्य में दिनांक 26–01–2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील हैं । अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें ।

16. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से 31.03.2025 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।

17. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र आबूरोड, जिला सिरोही (राजस्थान) होगा ।

18. पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

19. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, सिरोही द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना कमांक......................दिनांक......................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

12/11/24
...अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

प्रपत्र–ब वित्तीय निविदा (Financial Bid)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सिक्युरिटी मैन एवं वाहन चालक की सेवाऐं किराये पर लिये जाने हेतु

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय प्रतिमाह पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर/राज्य मण्डल द्वारा फिक्स पारिश्रमिक राशि से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13.00%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	सामग्री राशि/उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू (स्तम्भ सं. 05 से 09 का योग)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (For Office Work)	उच्च कुशल	12000/– (प्रति कार्मिक) (राज्य मण्डल द्वारा फिक्स पारिश्रमिक)	02 (दो)		13.00%	3.25%			
2	वाहन चालक	कुशल	12000/– (प्रति कार्मिक) (राज्य मण्डल द्वारा फिक्स पारिश्रमिक)	01 (एक)		13.00%	3.25%	–		
3	सिक्युरिटी मैन	कुशल	8034/– (प्रति कार्मिक)	03 (तीन)		13.00%	3.25%			
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	10000/– (प्रति कार्मिक) (राज्य मण्डल द्वारा फिक्स पारिश्रमिक)	02 (दो)		13.00%	3.25%	–		
5	सफाई कर्मचारी (अशंकालीन आधार पर)	अकुशल	3705/– (प्रति कार्मिक)	01 (एक)		13.00%	3.25%	–		

1. उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या (1) हेतु स्तम्भ संख्या 5,8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या (2), (3), (4) व (5) हेतु स्तम्भ संख्या 5, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
4. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में (0) शुन्य, पैसे एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।
5. स्तम्भ संख्या 5 में उल्लेखित की जाने वाली दरे राज्य सरकार/राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित न्यूनतम/फिक्स दरो से कम स्वीकार्य नहीं होगी।

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

नाम...

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों/सेवाओ के लिए निविदा दी हैं, उनका मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सो सेलिंग/ विपणन एजेण्ट/सेवा प्रदाता हैं ।

यदि यहा घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जाऐं ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम :..

   मोबाईल नम्बर :..

2. पूर्ण पता :..

   ....

   ....

3. टेलीफोन नम्बर (निवास) :..

   (कार्यालय) :..

12/11/24

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

A. Annexure- General Terms & Condition of Bid & Contract

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर, उक्त लिफाफो को एक बडे लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर **''कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी/सिक्युरिटी मैन/वाहन चालक किराये पर लिये जाने हेतु निविदा''** अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सिरोही'' को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी, यदि दरे शब्दो एवं अंको में अलग–अलग दर्शायी जाती है तो राजकीय हित में दोनो में से जो कम होगी, वही दर मानी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये। निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि रूपये 500/– **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT SIROHI** के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी, यह राशि NON Refundable होगी। इसके अतिरिक्त बोली प्रतिभूति राशि के निविदा प्रपत्र में साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा। SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क 500/– रूपये देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
7. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर नियमानुसार स्टॉम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
9. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–
   (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5% (ढाई प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT SIROHI** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व तथा श्रम विभाग/राज्य मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दरो/निर्धारित फिक्स पारिश्रमिक के अनुसार अनुबंधित कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय में अनुबंधित कार्मिको को श्रम विभाग राजस्थान सरकार नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित दर/राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा, यदि राज्य सरकार/राज्य मण्डल द्वारा न्यूनतम दरे बढाई जाती है तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निविदादाता/ठेकेदार को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

11. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कार्य का अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जावे) पंजीकृत फर्म / व्यक्तियो द्वारा ही निविदाएं भरी जावेगी। फर्म होने की दशा में पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।

12. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

13. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलो से वैधानिक कटौतियां एवं टी.डी.एस. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।

14. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।

12/1/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

15. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा। ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की सूची नाम, पते सहित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तथा समय समय पर ठेके कर्मियों के परिवर्तन किये जाने/हो जाने की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
16. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे।
17. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
20. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
21. कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
22. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
23. ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

बिल से काट लिया जावेगा एवं सात दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा। तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, सिरोही को होगा।

24. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
25. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
26. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
27. मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वितीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
28. बोली का अपवर्जन (Exclusion):– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
29. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–
    कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–
    (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    (ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) का निर्णय अंतिम होगा।
30. भुगतान:–
    (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
31. निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।
32. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियां की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उतरदायी नही होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
33. कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, धुमपान–गुटका–पान–शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
34. स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।
35. सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखा जायेगा तथा इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

12/11/23
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

36. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियो के बिलो के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी कर्मचारियो को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियो को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा।
37. कर्मचारी कार्य के दौरान सोते हुए पाये जाने पर या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा। तथा ठेकेदार से पैनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।
38. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा अमानत राशि के स्थान पर उल्लेखित घोषणा पत्र अनुसार कार्यवाही कर कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, आबूरोड़ जिला सिरोही को होगा।
39. न्यूनतम निविदा दरे एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में :—
न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरो की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य अनुभव आदि को मद्देनजर रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नही होगा और न ही क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी।
40. निविदादाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का निविदादाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।
41. सशर्त निविदाएं स्वीकार नही होगी।
42. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राराप्रनिम, आबूरोड, सिरोही को होगा।
43. निविदादाता स्वयं/उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।

44. किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आबूरोड, सिरोही का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।
45. उपर्युक्त शर्तो में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, आबूरोड, सिरोही को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं....................................

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:–

1. **शैक्षणिक योग्यता** :–
   (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विडोंज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।
   (ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
   (iii) कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

2. **मशीनों का विवरण** :–
   निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।
   (i) **Computer**-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15'' Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
   (ii) **Printer**:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
   (iii) **UPS**:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.
3. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30-04-2018 के अनुरूप होगी।
6. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन नियमानुसार कटौती की जावेगी।
7. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

8. कार्यालय में कार्य की आवश्कयता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेंगा।
9. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवाना अनिवार्य होगा।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।
11. कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव रखने वाली पंजीकृत संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

–: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्तें:–

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
6. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
9. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, आबूरोड, सिरोही न्यायालय ही रहेगा।
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही के पास सुरक्षित रहेगा।
11. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
12. क्षेत्रीय कार्यालय राप्रनिम, आबूरोड, सिरोही के परिसर में एवं परिसर के बाहर स्थित पेड़–पौधो में रोजाना पानी देना।
13. कार्यालय परिसर एवं इसके बाहर स्थित पेड़–पौधों , घास इत्यादि की नियमित रूप से छंटाई।
14. कार्यालय परिसर एवं इसके बाहर स्थित पेड़–पौधों , घास इत्यादि को निर्धारित आवृति अनुसार खाद एवं उर्वरक देना।
15. कार्यालय परिसर एवं इसके बाहर स्थित पेड़–पौधों , घास इत्यादि से खरपतवार को हटाना ।
16. कार्यालय परिसर एवं इसके बाहर स्थित फूलों की क्यारियों की भी नियमित रूप से देखभाल करना।
17. बागवानी सम्बन्धी अन्य कोई कार्य जो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया जाये।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

सिक्युरिटी मैन व ड्राईवर शर्तेः–

1. प्रत्येक समय (24x7) 01 सिक्युरिटी मैन कार्यालय में उपलब्ध रहना चाहिए।
2. सिक्युरिटी मैन को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।
3. ड्राईवर कार्यालय समयानुसार कार्यालय में उपलब्ध रहेगें। कार्यालय द्वारा ड्राईवर को आवश्यकता होने पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है।
4. सिक्युरिटी सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स प्रामण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. किसी भी कार्मिक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6. समस्त कार्मिकों का फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
7. ड्राईवर के पास वैध मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राईवर द्वारा ट्राफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना फर्म से वसूला जाएगा।
8. किसी भी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दषा में निविदादाता को अन्य कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
9. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
10. सिक्यूरिटी मैन जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
11. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
12. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को Sublet नहीं करेगा।
13. निविदादाता के कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
14. कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
15. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
16. कर्मचारी का कार्य कुशल न होने , अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देषानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
17. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
18. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
20. डाईवर को दिए गए कार्यो को करते समय यदि किसी मृत्यु की ही जाती है या कर्मचारी किसी भी रुप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एंव इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति /मुआवजे के लिए किसी भी रुप में उतरदायी नहीं होगा।
21. वाहन चालक द्वारा वाहन की लौंगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लाट सं. 25 व 26 सिंधा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

22. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
23. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ–सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाएगा।
24. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, आबूरोड, सिरोही का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
25. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, आबूरोड, सिरोही न्यायालय ही रहेगा।
26. नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी पर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
27. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
28. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
29. कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
30. राज्य सरकार द्वारा सिक्युरिटी मैन व ड्राईवर आदि कर्मचारीयों के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों /नियम निविदाता को मान्य होगे।
31. उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य/सेवा ठेकेदार द्वारा समय पर प्रदान नहीं करने पर कार्य/सेवा बाज़ार से या अन्य किसी व्यक्ति से करवा लिया जायेगा और इस प्रकार के कार्य पर व्यय होने वाली राशि सेवा प्रदाता एजेंसी के भुगतान में से काट ली जावेगी इसके अतिरिक्त आर्थिक दण्ड के रूप में कार्य करवाने पर व्यय की गई राशि से दो गुना राशि तक दण्ड के रूप में आरोपित की जा सकती है।
32. सिक्युरिटी मैन व ड्राईवर निर्धारित वर्दी में होना चाहिए तथा शर्ट पर नेमप्लेट/ प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लिखा होना चाहिए सिक्युरिटी मैन को एजेंसी द्वारा टॉर्च, वर्दी, डंडा आदि आवश्यक रूप से प्रदान की जावेगी। इसके लिए अलग से कोई भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
33. सिक्युरिटी मैन दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज सम्भालने के बाद ही डयूटी से ऑफ होगा।
34. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होगें।
35. निविदादाता को सिक्युरिटी मैन व ड्राईवर सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
36. वाहन की नियमित साफ सफाई, देखरेख, फिटनेस की जिम्मेदारी ड्राईवर की होगी।
37. वाहन चालक को मण्डल मुख्यालय जयपुर के पत्रांक एफ1(260)/राप्रनिम/स्था./2105–08 दिनांक 16.01.2029 के अनुसार मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के अन्य स्थानो पर कार्य के दौरान रात्रि विश्राम पर प्रतिरात्रि रूपये 300/– का भुगतान मांगकर्ता ऐजेन्सी को देय होगा।
38. कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण--पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

दिनॉक

12/11/24

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स व पता ....

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

—: सफाई कार्मिक की सेवाऐं किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिय विशिष्ट नियम एवं शर्ते:—

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी सफाई कार्मिक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कार्मिक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा—जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी—पेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. निविदादाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. सफाई कार्मिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना—दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
11. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
12. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही के पास सुरक्षित रहेगा।
14. सफाई कार्मिक घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही के पास सुरक्षित रहेगा।
15. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
16. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण—पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
17. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
18. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., आबूरोड, सिरोही का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, आबूरोड, सिरोही न्यायालय ही रहेगा।
19. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा। यदि फर्म/ठेकेदार के सफाई कार्मिक कार्य के दौरान कार्यालय की किसी चल / अचल सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल / प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

12/4/21
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to…………………………………………………for procurement of ……………………………………in response to their Notice Inviting Bids No. ………………………… Dated………………………… I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:………………..   Signature of bidder

Palace:……………….   Name:……………………………………..

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

Designation:…………………………….

Address:………………………………….

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non -- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लाट सं. 25 व 26 सिंघा कॉलोनी, नया खेड़ा, सांतपुर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही (राज.)

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....

of...

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ....
   ....

Place:.................

Date:..................

Appellant's Signature

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

12/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

12/11/24

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., सिरोही